



कोटा

Rashtradoot

फोन:- 2386031, 2386032 फैक्स:- 0744-2386033

वर्ष: 50

संख्या: 343

प्रभात

कोटा, शुक्रवार 26 सितम्बर, 2025

कोटा/24/2012-14

पृष्ठ 6

मूल्य 2.50 रु.

‘बाँसवाड़ा की धरती पर बिजली उत्पादन में भारत के सामर्थ्य का नया अध्याय लिखा गया है’

प्र.मंत्री मोदी ने नापला में 42,000 करोड़ रुपए की परमाणु बिजली परियोजना के शिलान्यास के दौरान कहा

उदयपुर/बांसवाड़ा, 25 सितम्बर (कास)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, ‘देश आज बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इस रफ्तार में देश के हर हिस्से, हर राज्य को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि देश विकसित होने के लिए तेज गति से काम

■ प्रधानमंत्री ने परमाणु बिजली परियोजना (42,000 करोड़ रुपए) सहित राजस्थान को 1 लाख 468 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं और वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी।

कर रहा है और इसमें राजस्थान को भी बड़ी भूमिका है।’

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को को नापला (बांसवाड़ा) में माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने देशभर में 1 लाख 22 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को बांसवाड़ा के नापला में आयोजित भव्य समारोह में 1 लाख 22 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल ने साफा पहनाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया तथा विजयस्तंभ का चित्र भेंट किया।

परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। मोदी ने राजस्थान को 42 हजार करोड़ रुपए की परमाणु ऊर्जा परियोजना सहित, 1 लाख 8 हजार 468 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं एवं विकास कार्यों तथा दो

बंदे भारत एक्सप्रेस सहित, तीन नई ट्रेनों की सौगात दी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नवरात्रि के पावन पर्व के दौरान बांसवाड़ा में मां त्रिपुर सुंदरी की धरती पर आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। मोदी

ने कहा कि नवरात्रि में हम शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और परमाणु ऊर्जा परियोजना के शिलान्यास से बांसवाड़ा की धरती पर ऊर्जा शक्ति, यानी बिजली उत्पादन में भारत के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अगले लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर भारत को सिंधु नदी का पानी मिलेगा?

भारत सरकार सिंधु नदी के सिस्टम में भारी बदलाव करने की दिशा में गंभीर कदम उठा रही है

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 25 सितम्बर। भारत, उत्तर भारत की जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सिंधु नदी प्रणाली में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निर्लंबित करने के बाद, अब सरकार इस परियोजना को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरा करने की दिशा में रणनीतिक कदम उठा रही है।

पिछले शुक्रवार को वरिष्ठ मंत्रियों की एक समीक्षा बैठक के दौरान बताया गया कि एक 14 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है, जो सिंधु नदी को ब्यास नदी से जोड़ेगा। ये दोनों नदियाँ सिंधु प्रणाली का हिस्सा हैं। यह जानकारी उन सूत्रों ने दी है जो इस

■ प्रोजेक्ट से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में 14 किलोमीटर लम्बी टनल बनाने के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जो सिंधु नदी को व्यास नदी से जोड़े देगी।

■ बहुराष्ट्रीय कम्पनी लार्सन एण्ड टूब्रो (एलएंडटी) को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया है। ज्ञातव्य है कि 22 अप्रैल के पहलगाम अटैक के बाद भारत ने सिंधु नदी जल समझौता रद्द कर दिया था, तब से ही केन्द्र सरकार सिंधु नदी का पानी उत्तर भारतीय राज्यों तक पहुँचाने की दिशा में काम कर रही है।

परियोजना से जुड़े हैं।

लार्सन एंड टूब्रो (एल एंड टी) जैसी बहुराष्ट्रीय निर्माण कंपनी को यह परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया है, जो अगले साल तक तैयार होने की उम्मीद है।

सूत्रों ने आगे बताया कि बैठक में, प्रस्तावित 113 किलोमीटर लंबी नहर की भी समीक्षा की गई, जिसके माध्यम से सिंधु जल को उत्तर भारत के राज्यों तक पहुँचाया जाएगा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

स्कूल के मैदान में रामलीला की अनुमति

नयी दिल्ली, 25 सितंबर। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद स्थित एक स्कूल मैदान में चल रहे रामलीला समारोह को सशर्त जारी रखने की बुधवार को अनुमति दे दी।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयाँ और न्यायमूर्ति एन.

■ सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए फिरोजाबाद के सरकारी स्कूल के मैदान में रामलीला के मंचन की अनुमति दे दी है।

कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के संबंधित आदेश पर रोक लगाते हुए फिरोजाबाद के टूंडला स्थित जिला परिषद विद्यालय मैदान में रामलीला जारी रखने की अनुमति इस

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका विश्व के सभी सफल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आदि पर आधिपत्य चाहता है

अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा टिक टॉक डील पर इतना ज्यादा जोर देना अमेरिका की इस नीति का बड़ा उदाहरण है

समझौते के अनुसार, अमेरिकी कंपनियों का एक समूह टिकटॉक की अमेरिकी संपत्तियाँ खरीदेगा और उसके मूल एल्गोरिदम को ओरेंकल चलाएगा। इस समझौते के तहत, दोनों देशों के प्रमुख, डॉनल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग, निकट भविष्य में द्विपक्षीय मुद्दों को सुलझाने के लिए मिलने वाले हैं। टिक टॉक को लेकर हुआ यह स्वार्थी समझौता अमेरिकी दावों के खोखलेपन को दर्शाता है, जिनमें वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मुक्त व्यापार वाली अर्थव्यवस्था (फ्री एन्टरप्राइज इकॉनमी) की बात करता है।

अमेरिका एक तरफ तो अपने देश में काम कर रही एक बेहद सफल सोशल

■ अमेरिका ने चीन को मजबूर किया है कि चीन टिक टॉक का अमेरिकन संचालन किसी अमेरिकन कंपनी को बेच दे।

■ जैसा कि विदित है, टिक टॉक विश्व के सबसे सफल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से एक है और अमेरिका के युवाओं में बेहद लोकप्रिय है।

■ अमेरिका इस प्लेटफॉर्म पर न केवल काबिज होना चाहता है, बल्कि यह भी चाहता है कि इसका सॉफ्टवेयर भी अमेरिका में ही बने। चर्चा है कि अमेरिकन कंपनी ऑरेंकल यह सॉफ्टवेयर बनाएगी।

■ इसी नीति के तहत वे अमेरिका में कार्यरत उच्च शिक्षित भारतीय इंजीनियर्स का काम अमेरिकन प्रोफेशनलस को देना चाहते हैं।

■ यह सारी कोशिशें अमेरिका के हित में हो सकती हैं। पर, क्या यह ‘‘फ्रीडम ऑफ स्पीच’’ का उल्लंघन नहीं है, जिसका अमेरिका हमेशा पैरोकार रहा है।

पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से मोदी का संवाद

जयपुर, 25 सितम्बर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर गुरुवार को बांसवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राजस्थान

■ बाँसवाड़ा में आयोजित इस कार्यक्रम में प्र.मंत्री मोदी ने देश भर के लाभार्थियों से बातचीत की।

सहित, देशभर के पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद किया।

मोदी ने राजस्थान में फलौदी से पणू देवी, कोटपूतली से धर्मेन्द्र कुमार, प्रतापगढ़ से जगदीश मेघवाल, जोधपुर से रामचन्द्र सिंह, भरतपुर से प्रेम सिंह कुंतल, बांसवाड़ा के अर्धुना संघर्ष से संवाद किया।

इस दौरान राज्यपाल हरिभाऊ कसनराव बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी, उपमुख्यमंत्री दिया कुमार एवं डॉ. प्रेमचंद बैरवा तथा सांसद मदन राठीड़ उपस्थित रहे।

भाजपा के सांसदों ने वि.स. चुनाव लड़ने के लिए आनाकानी दिखाई

सूत्रों के अनुसार, भाजपा नेतृत्व ने नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, सतीश दुबे और राजीव प्रताप रूडी आदि को बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा है

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 25 सितंबर। बिहार में सतारूढ़ नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस (एनडीए) में एक नया राजनीतिक तुफान उस समय खड़ा हो गया, जब वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य भाजपा मंत्रियों पर जमकर हमला बोला और कथित भ्रष्टाचार के मामलों में कड़ी कार्रवाई की मांग की। उनके बयान ने न केवल प्रदेश इकाई में दरारें और गहरी कर दी हैं, बल्कि आगामी नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा के केन्द्रीय नेतृत्व को भी असहज कर दिया है।

जनता दल (युनाइटेड) के नेता और एमएलसी नीरज कुमार, जिन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है, ने भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने गठबंधन के सहयोगियों को याद दिलाया कि नीतीश कुमार का लंबा कार्यकाल स्वच्छ छवि का प्रतीक रहा है, जो चारा घोटाले जैसे घोटालों से भरे अंधकारमय वर्षों से एक स्पष्ट अंतर दिखाता है।

नीरज कुमार ने कहा, “बिहार की जनता ने नीतीश को इसीलिए चुना था, क्योंकि वह भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी थी। पिछले दो दशकों से हमने स्वराज और विकास आधारित शासन

■ पर इनमें से अधिकांश ने चुनाव लड़ने से इन्कार कर दिया और कहा कि विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ दाँव पर है, अगर हम हार गए तो यह राजनैतिक आत्महत्या होगी और जीत गए तो भी दिल्ली में प्रभाव कम हो जाएगा।

■ इसी बीच वरिष्ठ भाजपा नेता आर.के. सिंह ने बिहार के उपमुख्यमंत्री, भाजपा के सम्राट चौधरी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कड़ी कार्यवाही की मांग की।

■ पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि इस बार चुनावों में एनडीए सवालों से घिरा हुआ है।

दिया है। भाजपा नेताओं पर ऐसे आरोप गठबंधन की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाते हैं।”

पटना में उठे इस विवाद ने दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को हिला कर रख दिया है, जो पहले से ही पार्टी कार्यकर्ताओं और सहयोगी दलों के असंतोष से जूझ रहा है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि आंतरिक कलह और भ्रष्टाचार के आरोप एनडीए के “सुशासन” के नैरेटिव को कमजोर कर सकते हैं, जो पिछले चुनावों में इसकी ताकत रहा है।

नर्वस भाजपा नेतृत्व ने कथित रूप से कम से कम पांच केन्द्रीय मंत्रियों और प्रमुख सांसदों को बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा है। जिन नामों की चर्चा हो रही है,

उनमें केन्द्रीय मंत्री नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह के साथ, वरिष्ठ सांसद राजीव प्रताप रूडी और सतीश दुबे शामिल हैं। हालांकि, इन नेताओं में से अधिकांश ने राज्य की चुनावी राजनीति में उतरने से अनिच्छा जताई है। सूत्रों के अनुसार, उन्हें डर है कि इतना हाई-स्टेक चुनाव लड़ना उनके लिए राजनीतिक जोखिम साबित हो सकता है।

एक वरिष्ठ भाजपा सांसद ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा, “अगर हार गए तो राजनीतिक आत्महत्या है और अगर जीत भी गए, तो दिल्ली में हमारी पकड़ कमजोर हो जाएगी। किसी भी सूरत में यह हमारे लिए एंडगेम साबित हो सकता है।”

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पर, खेद जताया कि औपनिवेशकालीन भूमि विवाद आज़ादी के 78 साल बाद भी अदालतों में चल रहे हैं

■ यह विवाद 1923-1930 के बीच पुर्तगाली शासन द्वारा दादर नगर हवेली में दिए गए “एलवरराज” (पट्टे) से संबंधित था, जिसमें पट्टाधारक के लिए ज़मीन पर खेती करना व हर साल टैक्स देना ज़रूरी था। सन् 1954 में पुर्तगाल से इस क्षेत्र को आज़ाद करा लिया गया था और 1974 में ज़िला कलैक्टर ने खेती नहीं होने की बात कह कर पट्टे रद्द कर दिए, जिस पर पट्टाधारकों ने केस कर दिया था। तब से ही मामला चल रहा है।

कि यह विवाद आधी सदी से भी पहले शुरू हुआ था, बल्कि यह गहरी विडंबना है कि आज़ादी के 78 साल बाद भी, यह न्यायालय ऐसे भूमि अधिकारों से उभरे विवादों को सुलझा रहा है, जिन्हें उन औपनिवेशिक शक्तियों ने दिया था जिन्होंने कभी इस देश की संपदा और संसाधनों का शोषण किया था।”

एलवरराज, 1923-1930 के

बीच पुर्तगाली शासन द्वारा दादर और नगर हवेली में दिए गए स्थायी पट्टे थे। इसमें शर्तें थी कि मालिक को ज़मीन पर खेती करना और हर साल कर देना ज़रूरी था।

1954 में दादर और नगर हवेली पुर्तगाल आज़ाद हुआ और 1961 में इसका भारत में विलय हुआ।

वर्ष 1974 में ज़िला कलेक्टर ने

यह कहते हुए एलवरराज रद्द कर दिए कि ज़मीन पर खेती नहीं हुई, जो ओए की धारा 12 का उल्लंघन है। यह विवाद पिछले पाँच दशकों से अदालतों में चल रहा है।

वर्ष 1978 में ट्रायल कोर्ट ने ज़मीनधारकों के पक्ष में फैसला दिया कि पुर्तगाली प्रशासन ने खेती की शर्त को समाप्त कर दिया था। वर्ष 1983 में ज़िला अपीलीय अदालत ने भी यही रुख अपनाया और कहा कि दशकों तक राज्य की निष्क्रियता “स्वीकृति” मानी जाएगी।

वर्ष 2005, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन फैसलों को पलट दिया और कहा कि सिर्फ़ देरी की वजह से कार्रवाई नहीं हुई, इसका मतलब यह नहीं कि राज्य ने मौन स्वीकृति दी। इसने कलैक्टर के पट्टे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वांगचुक के एनजीओ पर सरकारी शिकंजा

नयी दिल्ली, 25 सितम्बर। सरकार ने लद्दाख के सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोमन वांगचुक के गैर सरकारी संगठन का विदेशी अंशदान नियमन पंजीकरण प्रमाण पत्र (एफसीआरए) विली

■ केन्द्र सरकार ने वांगचुक के एनजीओ के विदेशी अंशदान नियमन पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है।

अनियमितताओं और कानूनों के उल्लंघन के कारण रद्द कर दिया है। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर कहा कि सक्षम अधिकारी ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम 2010 की धारा 14(1) के तहत अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए वांगचुक के संगठन स्ट्रैटेंस

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)